सूचना लेने के लिए प्रभार

आरटीआई अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने के लिए अनुरोध किया जा सकता है और आवेदन पत्र के साथ "राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान, नई दिल्ली" को देय 10 रु. का शुल्क बैंक ड्राफ्ट/चेक द्वारा अथवा नगद होना चाहिए।

आरटीआई अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने के लिए अनुरोध किया जा सकता है और आवेदन पत्र के साथ "राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान, नई दिल्ली" को देय निम्नानुसार दरों पर शुल्क बैंक ड्राफ्ट/चेक द्वारा अथवा नगद लिया जाएगाः

- क. प्रत्येक सृजित अथवा प्रति किए गए पृष्ठ (ए4 अथवा ए3 के साइज के पृष्ठ पर) के लिए दो रु.;
- ख. बड़े साइज के पृष्ठ में प्रतिलिपि करने के लिए वास्तविक प्रभार अथवा उस पर आने वाली कीमत;
- ग. मॉडलों के नमूनों के लिए वास्तविक लागत अथवा कीमत; और
- घ. रिकार्डों के निरीक्षण के लिए पहले घंटे के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा तत्पश्चात प्रत्येक 15 मिनट (अथवा इसके गुणांक) के लिए 5 रु. का शुल्क लिया जाएगा।

आरटीआई अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (5) के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने के लिए अनुरोध किया जा सकता है और आवेदन पत्र के साथ "राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान, नई दिल्ली" को देय निम्नानुसार दरों पर शुल्क बैंक ड्राफ्ट/चेक द्वारा अथवा नगद लिया जाएगा:

- क. किसी डिक्स अथवा फ्लॉपी के लिए रु. 50/- प्रति डिक्स अथवा फ्लॉपी; और
- ख. मुद्रित रूप में सूचना प्रदान करने के लिए ऐसे प्रकाशन के लिए नियत मूल्य अथवा प्रकाशन से उद्धरण के लिए फोटोकॉपी के प्रत्येक पृष्ठ के लिए 2 रु.।